प्रेस नोट दिनांक-25.06.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

रेलवे कार्यालय से चोरी किए गए विंडो A.C. की घटना का सफल अनावरण — 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी किया गया A.C. व अवैध देशी बम बरामद

घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा दिए गये निर्देश के क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा प्रभावी विवेचना एवं सतर्क गश्त के माध्यम से अभियुक्तों की त्वरित गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को क्षेत्रान्तर्गत रेलवे के निष्प्रयोज भवन के पास से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद चोरी का WINDOW A.C. 1.5 टन व 04 अदद देशी बम बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 23/24-06-2025 की रात्रि में वादी के कार्यालय सीनियर सेक्सन इंजी0 (विद्युत) जो रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ पूरब साइड प्लेटफार्म नं0 5 से सता हुआ है। रात्रि में अज्ञात व्याक्तियों द्वारा ताला तोड़कर कार्यालय में लगा WINDOW A.C. (1.5 TON) को चोरी कर लिया गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 24.06.2025 को थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 280/2025 धारा 305, 331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात व्यक्तियों का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया गया था कि टीम गठित कर शीघ्र अज्ञात अभियुक्त की पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए तथा चोरी गये माल की बरामदगी की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाए। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्य करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया WINDOW A.C. बरामद किया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व नें उ0नि0 लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराह, का0 अजीत कुमार का0 अनिकेत दिनकर द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 280/2025 धारा 305, 331(4) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. कलीमुद्दीन उर्फ सोनू पुत्र हलीम निवासी पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष, 02. राजकुमार उर्फ राजू पुत्र लल्लन उम्र 34 वर्ष निवासी पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत रेलवे के निष्प्रयोज भवन के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद चोरी का WINDOW A.C. 1.5 टन व 04 अदद देशी बम को बरामद किया गया। उपरोक्त बरामदगी के संबंध में अभियोग उपरोक्त में 317(2) बीएनएस व 4/5 विस्फोटक अधि0 की बढ़ोत्तरी की गई। बरामद 01 अदद आटो थ्री विलर को धारा अन्तर्गत धारा एमवी एक्ट में सीज की गई।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो ने मिलकर रेलवे के सेक्शन इंजिनियर के कार्यालय से विंडो ए0सी 1.5 टन कल दिनांक 23/24.06.2025 को रात्रि में चुराया था। जिसे हम दोनो ने रेलवे के निष्प्रयोज भवन में छुपा दिया था। आज मौका पाकर मै अपनी आटो थ्री विलर से बेचने के लिऐ जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. कलीमुद्दीन उर्फ सोनू पुत्र हलीम निवासी पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष।
02. राजकुमार उर्फ राजू पुत्र लल्लन उम्र 34 वर्ष निवासी पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
01 अदद चोरी का WINDOW A.C. 1.5 टन व 04 अदद देशी बम बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराह, का0 अजीत कुमार का0 अनिकेत दिनकर थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ

अवैध रूप से बियर बिक्री करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार – 8500 एमएल अवैध बियर बरामद

दिनांक 24.06.2025 को थाना पट्टी के उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह का0 हरिकेश पाल द्वारा क्षेत्र में देखभाल, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग, वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की तलाश तथा लंबित विवेचनाओं की जांच के क्रम में भ्रमणशील थे। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मुजाही बाजार में जहां पूर्व में देसी शराब की दुकान संचालित थी, वहीं एक व्यक्ति द्वारा अपनी दुकान में बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से बियर संग्रहित कर बिक्री की जा रही है।

उक्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मुजाही बाजार स्थित उक्त स्थान पर दबिश दी गई, जहां एक व्यक्ति भावेश सिंह पुत्र भारत सिंह निवासी बींद, मुजाही बाजार, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 30 वर्ष को पकड़ा गया। मौके पर की गई तलाशी के दौरान उसकी दुकान में रखे फ्रिज से गॉडफादर लीजेंडरी इंटरनेशनल स्ट्रॉन्ग बियर की कुल 17 कंटेनर (प्रत्येक 500 एमएल), अर्थात कुल 8500 एमएल अवैध बियर बरामद की गई।

इस संबंध में थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 194/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
01. भावेश सिंह पुत्र भारत सिंह निवासी बींद, मुजाही बाजार, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 30 वर्ष

बरामदगी:-
गॉडफादर लीजेंडरी इंटरनेशनल स्ट्रॉन्ग बियर – कुल 17 कंटेनर (500 एमएल प्रति कंटेनर), कुल मात्रा – 8500 एमएल

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में अवैध शराब/बियर की बिक्री एवं भंडारण के विरुद्ध सतत अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज के उ0नि0 अमित कुमार चौहान मय हमराह का0 उपेन्द्र सिंह के द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन, तलाश वांछित वारण्टी के दौरान मु0नं0 56/18 अ0सं0 166/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त भारतलाल पटेल पुत्र राम दुलारे उम्र करीब 35 वर्ष निवासी गोपालपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. भारतलाल पटेल पुत्र राम दुलारे उम्र करीब 35 वर्ष निवासी गोपालपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अमित कुमार चौहान मय हमराह का0 उपेन्द्र सिंह थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा सक्रिय अतंजर्नपदीय 02 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग किया गया पंजीकृत-

एसपी प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा लूट, चोरी, धमकी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, मारपीट, जबरन बसूली, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट आदि जैसे संगीन अपराध कारित करने वाले कुल 02 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही- दोनो अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

अतंजर्नपदीय गैंगलीडर अभियुक्त गैंगलीडर आयुष सिंह पुत्र सुनील कुमार सिंह उर्फ राजा सिंह पर जनपद जौनपुर, जनपद सुल्तानपुर व जनपद प्रतापगढ में लूट, चोरी, धमकी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, मारपीट, जबरन बसूली, आम्र्स एक्ट जैसे संगीन कुल 13 अपराध दर्ज है।

गैंग सदस्य अतंजर्नपदीय अभियुक्त विपिन यादव पुत्र रामबहाल यादव पर जनपद जौनपुर, जनपद सुल्तानपुर व जनपद प्रतापगढ में लूट, चोरी, धमकी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, मारपीट, जबरन बसूली, आम्र्स एक्ट जैसे संगीन 10 अपराध दर्ज है।

प्रतापगढ़।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज डॉ0 श्री संजीव गुप्ता व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री अजय कुमार मिश्र के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

थाना आसपुर देवसरा-

अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में सक्रिय एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंगलीडर/सदस्य, 01- गैंगलीडर आयुष सिंह पुत्र सुनील कुमार सिंह उर्फ राजा सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर मानापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष, गैंग सदस्य 2. विपिन यादव पुत्र रामबहाल यादव निवासी नीमा गोपालपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष के विरूद्ध थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 181/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तों द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित तरीके लूट, चोरी, धमकी, धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास, मारपीट, जबरन बसूली, आम्र्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट आदि के अपराधों को कारित किया है। दोनो अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध हैं।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

01- गैंगलीडर आयुष सिंह पुत्र सुनील कुमार सिंह उर्फ राजा सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर मानापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 84/23 धारा 379, 411 भादवि थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर
2. मु0अ0सं0 126/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर
3. मु0अ0सं0 298/23 धारा 323, 504, 506, 34 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट थाना चाँदा जनपद सुल्तानपुर
4. मु0अ0सं0 204/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चाँदा जनपद सुल्तानपुर
5. मु0अ0सं0 213/24 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना चाँदा जनपद सुल्तानपुर
6. मु0अ0सं0 215/24 धारा 323, 504, 506, 34, 452 भादवि थाना चाँदा जनपद सुल्तानपुर
7. मु0अ0सं0 289/24 धारा 109(1), 61(2) बीएनएस थाना बदलापुर जनपद जौनपुर
8. मु0अ0सं0 288/24 धारा 309(4), 317 बीएनएस थाना बदलापुर जनपद जौनपुर
9. मु0अ0सं0 353/24 धारा 308(4), 351(3), 352 बीएनएस थाना चाँदा जनपद सुल्तानपुर
10. मु0अ0सं0 58/25 धारा 115(2), 351(3), 352, 109, 3(5) बीएनएस (प्रकाश में) थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़
11. मु0अ0सं0 114/25 धारा 317(2), 317(4), 319(2), 318(4), 338, 336(3) 340(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़
12. मु0अ0सं0 156/24 धारा 379 भादवि थाना सिकरारा जनपद जौनपुर
13. मु0अ0सं0 181/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर अधि0 थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़।

2- (गैंग सदस्य) विपिन यादव पुत्र रामबहाल यादव निवासी नीमा गोपालपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास।

1. मु0अ0सं0 288/24 धारा 309(4), 317 बीएनएस थाना बदलापुर जनपद जौनपुर
2. मु0अ0सं0 289/24 धारा 109(1), 61(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बदलापुर जनपद जौनपुर
3. मु0अ0सं0 115/24 धारा 304(1) बीएनएस थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर
4. मु0अ0सं0 171/24 धारा 323, 504, 506 बीएनएस थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़
5. मु0अ0सं0 294/22 धारा 286, 504, 506 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

6. मु0अ0सं0 50/22 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि थाना करौंदीकलां जनपद सुल्तानपुर
7. मु0अ0सं0 353/24 धारा 308(4), 351(3), 352 बीएनएस थाना चाँदा जनपद सुल्तानपुर
8. मु0अ0सं0 114/25 धारा 317(2), 317(4), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़
9. मु0अ0सं0 156/24 धारा 379 भादवि थाना सिकरारा जनपद जौनपुर
10. मु0अ0सं0 181/2025 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर अधि0 थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़।

बयान- जनपद में अपराध एवं अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराधियों की अवैध गतिविधियों को चिन्हित कर उनकी संपत्तियों की कुर्की व उनकी आपराधिक गतिविधियों पर कठोर कार्यवाही की जा रही है। अपराध की दुनिया में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

जनता से अपील है कि वह भयमुक्त होकर अपना जीवन यापन करें एवं किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। जनपद की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है।